ISSN 0975-4083

रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 2138 Impact Factor 4.875 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory
ProQuest, U.S.A. Title Id : 715204

अंक - 23, हिन्दी संस्करण, वर्ष-12, अप्रैल-सितम्बर 2022

2022

www.researchjournal.in

आई. एस. एस. एन. 0975-4083

रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal No. (Old) 2138
Impact Factor 4.875
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest, U.S.A. Title Id : 715204

अंक-23 हिन्दी संस्करण वर्ष-12 अप्रैल-सितम्बर 2022

डॉ. अखिलेश शुक्ल
प्रधान सम्पादक (ऑनरेरी)
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित
akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल
अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा
rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
की मुख्य शोध पत्रिका

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010(फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

- **researchjournal97@gmail.com,**
- **researchjournal.journal@gmail.com**
- शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00	-सदस्यता शुल्क -	
अवधि	व्यक्तिगत सदस्यता	संस्थागत सदस्यता
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय, नगद जमा की स्थिति में 75 रु. अतिरिक्त बैंक चार्ज जोड़ा जाय।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

संपादकीय कार्यालय

186/1, विन्ध्य विहार कालोनी
रीवा- 486001 (म.प्र.)
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in
दूरभाष - 7974781746

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के है, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं है। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं है। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

अनुक्रमणिका

01.	पुलिस कर्मियों में अवसाद एवं प्रशासनिक समस्याओं का विश्लेषण (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) **अखिलेश शुक्ल**	09
02.	भारतीय जनजातियों की प्राचीनता: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण (विभिन्न ऐतिहासिक कालों के विशेष संदर्भ में) **रश्मि दुबे**	23
03	अवकाश प्राप्त शिक्षिकाओं की अपेक्षाओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन **डिम्पल गुप्ता** **दीपमाला श्रीवास्तव**	31
04	बेतिया नगर में मलिन बस्तियाँ : समस्याँ एवं समाधान **बीरेन्द्र कुमार**	41
05	धूम्रपान : कैंसर से सहसम्बन्ध (आगरा के मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोगियों के विशेष सन्दर्भ में) **प्रियंका कुमारी**	46
06	कौशल विकास योजना : एक दृष्टि **प्रिया शुक्ला** **अरुण कुमार गौतम**	53
07	ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के संन्दर्भ में दादाभाई नौरोजी एवं गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन **गीता जादौन**	60
08	विभाजन के समय में मेवात (1947–1950) **भूपेश** **पूजा साह**	65
09	भारत में अघोर पंथ के मध्यकालीन इतिहास पर एक अध्ययन **नविता**	73
10	अम्बेडकर एवं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की सीपना और उसका कार्यक्रम **राम बिहारी राम**	79
11	चकराता छावनी का ऐतिहासिक अध्ययन नगरीकरण के विशेष संदर्भ में सन् 1866 से 1990 तक **अर्जुन सिंह** **राजपाल सिंह नेगी** **धीरपाल सिंह**	85
12	रवाँई क्षेत्र के काष्ठ निर्मित मंदिर स्थापत्य में अंलकरण अभिप्रायों का अध्ययन **सपना**	96
13	बेतिया नगर के आधारभूत संरचना का विश्लेषणात्मक अध्ययन **संजय कुमार**	103
14	मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं सतना जिले के धार्मिक पर्यटन पर एक भौगोलिक अध्ययन **ए. के. सिंह, प्रिया सिंह**	108

15	बघेलखण्ड की सांगीतिक धरोहर को संरक्षित रखने में हमारा सामाजिक दायित्व एवं भूमिका **संतोष पाठक** **वाणी साठे**	116
16	भारतीय समाज में महिला चित्रकारों का योगदान **मीना**	121
17	नागार्जुन की कविताओं में भाषाई-सौन्दर्य **सुरेन्द्र प्रताप सिंह** **अंकित कुमार सिंह**	126
18	संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण शास्त्र की उपादेयता **बृजेश द्विवेदी**	131
19	स्वामी विवेकानन्द-भावी पीढ़ी प्रेरणा स्त्रोत **विजय दुबे** **दीपक प्रकाश कुँवर**	135
20	अजोला पिन्नाटा पूरक आहार का उपयोग करके नर्मदा निधि मुर्गियों के उत्पादन प्रर्दशन पर अध्ययन **राधा मिश्रा** **सोनू कुमार यादव** **अंजनी कुमार मिश्रा** **अमरजीत सिह** **अजय चोरे**	140
21	मनरेगा कार्य स्थल में लैंगिक असमानता (ग्राम- चमराडोल के विशेष संदर्भ में) **प्रीति रजक** **एस. एम. मिश्रा**	146
22	सतना जिले से प्राप्त कुछ विलक्षण नाग प्रतिमाएं **धीरजलाल विश्वकर्मा**	150
23	सूचना: एक आर्थिक संसाधन **प्रद्युम्न कुमार द्विवेदी**	153

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

भारतीय जनजातियों की प्राचीनता: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण (विभिन्न ऐतिहासिक कालों के विशेष संदर्भ में)

• रश्मि दुबे

सारांश- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 खण्ड एक में अनुसूचित जनजातियों को इस प्रकार स्वीकार किया गया है। 'राष्ट्रपति सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातियों, जनजाति समुदायों या जनजाति समुदाय के भीतरी समूहों की घोषणा करेंगे। इस सूचना में जो जनजातियां, जनजाति समुदाय या जनजातियों के भीतरी समूह परिगणित किए जायेंगे, वे सब अनुसूचित जनजाति कहलायेंगे। डी.एन. मजूमदार के अनुसार 'जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का एक ऐसा समूह है जिसका सामान्य नाम है जिसके सदस्य एक निश्चित् भू भाग पर निवास करते हैं, विवाह, व्यवसाय के विषयों में कुछ निषेधाज्ञाओं का पालन करते हैं तथा जिन्होंने आदान-प्रदान संबंधी तथा पारस्परिक कर्त्तव्य विषय एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया हो। गिलिन ने जनजाति की व्याख्या इस प्रकार की है, स्थानीय जनजातीय समूह का ऐसा समुदाय जनजाति कहा जाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है तथा जिनकी एक सामान्य संस्कृति होती है।

मुख्य शब्द- जनजाति हिन्दुकरण, जनजातीय विकास

भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में जनजातियां देश की 'सांस्कृतिक धरोहर' है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जनजाति को अनेक नामों से संबोधित किया है जे.एच. हट्टन ने इन्हें 'आदिम जातियां' वेरियर एल्विन ने देश का 'मूल स्वामी', जी.एस. घुरिये ने पिछड़े हुए हिन्दु तथा आर.के. दास ने इनके लिए 'दलित मानवता' आदि संज्ञाओं को उपयुक्त माना है। नृतत्व शास्त्री रिजले, लेके, ग्रिगसन, सोबर्ट, टेलेंट्स, सेंजविक, मार्टिन तथा ए.वी. ठक्कर ने इन्हें 'आदिवासी' नाम से पुकारा है। टेलेंट्स, सेल्जनिक व मार्टिन द्वारा जनजातियों को 'सर्वजीववादी' नाम दिया गया। बेन्स ने इन्हें 'वन्य-जाति'की संज्ञा दी है।

जनजातीय समाज के लोग प्राचीन समय से ही हिन्दुओं के संपर्क में रहे हैं। इसके कारण जनजातियां हिन्दुकरण प्रक्रिया से प्रभावित हुई हैं तथा हिन्दू जातियां जनजातीयकरण की प्रक्रिया से प्रभावित हुई हैं। इस प्रकार हिन्दुकरण एवं जनजातीयकरण की प्रक्रियाएँ साथ-साथ जारी रहीं हैं। हिन्दू जातियों के समान

• प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोतर उत्कृष्ट महाविद्यालय,सागर (म.प्र.)

जनजातियों में खेती, पशु पालन, कारीगरी या दस्तकारी तथा मजदूरी प्रमुख आर्थिक क्रिया-कलाप पाए जाते हैं। वे लोग भी शिव, महादेव, भगवती, काली, लक्ष्मी, राम, हनुमान इत्यादि के भक्त हैं। वे लोग भी दशहरा, होली, दीवाली, रामनवमी, जन्माष्टमी इत्यादि जैसे हिन्दू पर्व-त्योहारों को मनाते हैं। सहस्त्राब्दियों से साथ-साथ रहते हुए जनजातियां आज भी अपनी जनजातीय पहचान बनाई हुई है। उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक व्यवस्था हिन्दुओं से अलग तरह की है। जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके अलग हैं। विवाह नियम अलग हैं। उनकी गोत्र व्यवस्था अलग है। उनके देवी-देवता तथा पर्व-त्योहार अलग हैं। इन्हीं समुदायों को हमारे धर्म निरपेक्ष एवं जनतांत्रिक संविधान द्वारा विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा को प्रदान करने के लिए उनका संवैधानिक नाम अनुसूचित जनजाति दिया गया है।

वैदिक तथा पौराणिक साहित्यों से ज्ञात होता है कि जिस समय इस भूमि पर आर्यों का आगमन हुआ, उससे पहले से ही यहाँ पर आदिम लोग रह रहे थें। उन आदिम लोगों को आर्यों ने दस्यु नाम दिया। दस्यु आर्य नहीं थे अत: उनके लिए अनार्य शब्द का भी प्रयोग किया गया। वैदिक कालीन दस्यु तथा अनार्य मुख्यत: दो कुल के थे- i) कोल कुल तथा (ii) द्रविड़ कुल। वर्तमान समय के मुंडा एवं संथाल कोल कुल के है, जबकि गौंड, खोंड, उरांव, कोरवा, मालर इत्यादि द्रविड़ कुल के है। कोल तथा द्रविड़ दोनों कुलों की प्रजातियां दो विपरीत दिशाओं में भारत भूमि के प्रागैतिहासिक काल में आए। इन दोनों कुलों की प्रजातियों का भारत में आगमन आर्यों से बहुत पहले हो गया था। कोल कुल की प्रजातियाँ पूर्व तथा उत्तर-पूर्व से एवं द्रविड़ कुल की प्रजातियाँ उत्तर -पश्चिम से भारत में आई। ऐसा माना गया है कि कोल कुल की प्रजातियां सबसे पहले भारत में आईं। वर्तमान हिमालय क्षेत्र तथा बंगाल में फैलने के बाद विंध्य क्षेत्र की घाटियों एवं जंगलों में फैल गए। द्रविड़ प्रजाति के लोग आगे बढ़ते हुए दक्षिण भारत में जाकर बस गए। सिंधु घाटी संस्कृति के जन्मदाता द्रविड़ प्रजाति के ही लोग रहे होंगे। ऋग्वेद में अनेक दस्यु तथा आर्य योद्धाओं का विवरण मिलता है। मनु संहिता के अनुसार दस्यु उन जातियों एवं उपजातियों को कहा जाता है जिन्हें धार्मिक संस्कार नहीं करने के कारण जाति से बाहर निकाल दिया गया था। कोल की उत्पत्ति के संबंध में भागवत पुराण में एक और कथा का उल्लेख मिलता है। अंगीरा ऋषि के शाप से राजा वेन मथनी बन गए थे। उनकी दाईं भुजा से एक काला नाटा कद का आदमी उत्पन्न हुआ। यही आदमी निपाद बना। उनकी बाईं भुजा से तीन अन्य आदमी उत्पन्न हुए।

रामायण में भी हमें जनजातीय लोगों के संबंध मे वर्णन मिलता है। रामायण में हमें राक्षस एवं वानर जैसे जनजातीय लोगों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। वानर जाति के प्रमुख बाली एवं सुग्रीव का राज भी दक्षिण भारत में स्थित था। इसी जाति के लोग श्रीराम की सेना में थे। निषाद जाति के प्रधान गुहा ने श्रीराम को गंगा नदी पार कराई थी। वे लोग बाद में कौशल प्रदेश से जुड़ गए थे। महाभारत में भी कुछ जनजातियों का उल्लेख हमें मिलता है। ऐसी कथा प्रचलित है कि शिव-महादेव किरात के रूप में अर्जुन से मिलने गए थे। वैदिक काल से ही किरात शब्द का प्रयोग अनार्यों के लिए किया जाता रहा है। धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य आँखों से महाभारत युद्ध का विवरण देते हुए संजय ने एक

सैनिक प्रधान को मुंडा बतलाया था।

इस प्रकार संस्कृत साहित्य में जनजाति अथवा आदिवासी शब्द का प्रयोग संकीर्ण अर्थ में नहीं अपितु वृहत अर्थ में किया गया है। इस शब्द का प्रयोग उन सभी आदि मानवों के लिए किया गया है जो आर्यों के आने के पहले से ही यहां रह रहे थे। उनमें तथा आर्यों के बीच युद्ध भी हुआ था। लेकिन बाद में दोनों में मित्रता स्थापित हो गई तथा भारतीय सभ्यता में दोनों एक-दूसरें के पूरक बन गए। संकीर्ण अर्थ में जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग सरकार द्वारा किया जाता है।

विभिन्न ऐतिहासिक कालों में भारतीय जनजातियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम भारतीय इतिहास को विभिन्न कालों में बांटकर देखें। अन्य स्थान के इतिहासों के समान भारत के भी इतिहास को तीन महत्वपूर्ण कालों में विभाजित किया जा सकता है- 1. प्राचीनकाल 2.मध्यकाल या मुसलमान काल 3. आधुनिक काल।

प्राचीनकाल में जनजातियां- प्राचीनकाल में भारत की जनजातियों ने या तो अपने हिन्दू पड़ोसी के साथ समझौता कर लिया या फिर वे जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में बसने चले गए। लंबी अवधि तक हिन्दू पड़ोसी के संपर्क में रह रही भारतीय जनजातियाँ एक हद तक अपने आपको हिन्दू संस्कृति में सम्मिलित कर लीं। जी.एस. धुर्ये ने अपनी पुस्तक 'द शेड्यूल्ड ट्राइब्स' (1959) में इस समस्या के ऊपर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है। आपके अनुसार भारत की तथाकथित सभी आदिम जनजातियां अपनी जनसंख्या में लघु स्तर या वृहत स्तर पर हिन्दुत्व को शामिल कर ली हैं। वे लंबी अवधि से हिन्दू पड़ोसियों के साथ-साथ रह रहें हैं। ब्रिटिश प्रशासक ब्राडले बर्ट, बैन, रिजले, ओमालेय सुबर्ट तथा मानवशास्त्री वैरियर एलविन का अवलोकन तथा अनुभव भी आदिवासियों को हिन्दू संस्कृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए दर्शाता है। प्राचीन काल में जनजातियों की हिन्दू जातियों के साथ अंत:क्रिया हुई जिसके परिणामस्वरूप जनजातियों ने हिन्दू संस्कृति को आत्मसात किया गया तथा हिन्दुओं की अधिकांश परंपराओं को स्वीकार किया। इस काल में हिन्दुओं तथा जनजातियों के मध्य मधुर आपसी संबंधों का विकास हुआ। एस.सी. राय ने अपनी पुस्तक 'मुंडा एंड देयर कंट्री' (1912) में यह दर्शाया है छठी शताब्दी ईसा पूर्व छोटा नागपुर में आने से पहले मुंडाओं द्वारा कई स्थानों को निवास स्थान बनाया गया था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मुंडाओं का प्राचीन निवास स्थान आजमगढ़ (पूर्वी उत्तर प्रदेश) रहा होगा।

जेनेरल कनिंघम (General Cunningham) ने अपने पुरातात्विक प्रतिवेदन (खंड-XVII:139) में उस क्षेत्र के सुरीज का सावर से संबंध दर्शाया है। सुरी संभवत: सभी कोल जनजातियों का उत्पत्ति मूलक शब्द है। इसके अंतर्गत पश्चिम के कुरकु तथा भील एवं पूर्व के मुंडा, संथाल, भुईयाँ हो, भूमिज, जुआंग इत्यादि आते है। आजमगढ़ से मुंडाओं का प्रवसन विभिन्न स्थानों पर संचार पथ का अनुसरण करते हुए हुआ। उत्तारी भारत से वे लोग दक्षिण की ओर आधुनिक बुंदेलखण्ड की ओर तथा मध्य भारत में पहुंचे। फिर पूर्वी राजस्थान की ओर गए तथा उत्तर- पश्चिम भारत पहुंचे। आधुनिक रूहेलखंड तथा अवध से होते हुए उत्तरी बिहार पहुंचे। वहां से फिर दक्षिणी बिहार आए। यहाँ पर

रोहतासगढ़ में रहे। रोहतासगढ़ से वे लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व छोटा नागपुर आए। मुंडा तथा उसके साथी भाई बंधु संथाल उस समय एक ही जनजाति के रूप में जाने जाते थे। दोनों ने एक साथ मिलकर रोहतासगढ़ में खरवार जनजाति के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध के बाद ही वे लोग रोहतासगढ़ छोड़े थे। वे लोग विंध्य की जंगली गुफाओं से पीछे हटे तथा सोन नदी पार करके दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित ओमेडंडा नामक स्थान पर बसे। यही स्थान मुंडाओं का छोटा नागपुर में प्रथम निवास स्थान था। एक द्रविड़ भाषा का प्रयोग करने वाली उरांव जनजाति का आगमन मुंडाओं के जंगली सीमाओं में हुआ। इसके कारण होरो या मुंडा (वर्तमान समय की हो जनजाति) कोयल नदी के नीचे दक्षिण तरफ जाकर बस गए।

कोल (सावेर) जनजाति के संबंध में एल्विन का कहना है कि वे लोग मध्य तथा पूर्वी भारत में फैले हुए थे। 800 B.C. से 1200 A.D. तक वे लोग इस क्षेत्र के प्रबल जनजाति थे। मध्य तथा पश्चिमी भारत की भील जनजाति प्रवासित होकर उत्तर -पश्चिम में मालवा तक पहुंच गई थी। कर्नल टोड (1920) तथा अन्य के प्रतिवेदनों से ज्ञात होता है कि भीलों को अपनी अस्तित्व की रक्षा हेतु आरंभिक कालों में राजपूतों तथा बाद में मुसलमानों के साथ संघर्ष करना पड़ा था। धीरे-धीरे भीलों को मध्य भारत पहाड़ी क्षेत्र तथा अरावली क्षेत्र की ओर भगा दिया गया था। राजपूत लोग भीलों को उस भूमि के आरंभिक निवासी मानते हैं तथा उनके ऊपर अपना पौराणिक अधिकार भी जताते हैं। द्रविड़ जनजाति उरांव के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों ने मुंडाओं को पूर्व की ओर जाने के लिए बाध्य किया तथा रांची में आकर बस गए। उनका आंतरिक प्रवसन संभवतः दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के कुर्ग प्रांत से हुआ। भोजपुर तथा रोहतास जिलों का इतिहास दर्शाता है कि वहां पर क्रमशः उरांव, खर् बार, भार, तीन राजपूत भाइयों, चेरो तथा सावरों का शासन स्थापित हुआ था। उरांव मलेच्छों द्वारा रोहतासगढ़ से बाहर किए गए थे। वे लोग संभवतः चेरो जनजाति के थे। यहां पर अशोक पूर्वकाल में चेरों का शासन था। जब चेरों द्वारा उरांवों पर आक्रमण करके रोहतास गढ़ से भगाया गया, वे लोग दो दिशाओं में फैल गए।

दक्षिण भारत में केरल की उराली तथा कुरुंबा कुरुमन (शासक) थे। वे लोग आठवीं सदी तक अपना प्रभुत्व कायम रखे हुए थे। लेकिन बाद में वे लोग कोंग, चोल तथा चालुक्य राजाओं द्वारा शासन से बाहर कर दिए गए। वे लोग पश्चिमी घाट के सबसे आरंभिक निवासी रहे हैं। तमिलनाडु के कल्लार अपने आपको शूरवीर बतलाते हैं तथा चोल राज के वंशज बतलाते हैं। उत्तर-पूर्व हिमालय क्षेत्र का आरंभिक इतिहास बतलाता है कि बोडो जनजाति के लोग संपूर्ण ब्रह्पुत्र घाटी में 300 B.C. में फैल गए थे। वे लोग अंततोगत्वा गारो पहाड़ी पर जाकर बस गए लेकिन अपने प्रवसन का प्रमाण संपूर्ण उत्तर-पूर्व हिमालय क्षेत्र में छोड़ दिए हैं। मध्य हिमालय क्षेत्र में 300 B.C. में खस लोग फैल गए थे। आदिम प्राक्-द्रविड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जानसार बाबर क्षेत्र के कोल्ट जनजाति द्वारा किया जाता है। स्थानीय खस ब्राह्मण एवं राजपूत दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे लोग शारीरिक रूप से कश्मीरियों के समान हैं। प्रागैतिहासिक काल में वे लोग उत्तर भारत के कई हिस्सों में रहते थे। मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र के

थारु लोग पश्चिम में शारदा नदी से लेकर पूर्व में कोसी नदी तक पाए जाते हैं। श्रीवास्तव (1958) के अनुसार थारु जनजाति मध्य भारत के आदिम जनजातियों का सबसे उत्तरी विस्तार प्रस्तुत करती है। यह जनजाति हिमालय क्षेत्र में पायी जाने वाली मंगोल प्रजाति की शाखा नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से जनजातियों के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश पड़ता है। भारतीय जनजातियां आरंभिक ऐतिहासिक काल में देश के विभिन्न भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते तथा बसते रहे। ये लोग भोजन तथा उपयुक्त निवास स्थान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे। इन लोगों ने अपने भ्रमण के लिए नदी के किनारों का मार्ग के रूप में सहारा लिया। इनका लक्ष्य देश में स्थित विभिन्न पहाड़ी तथा जंगल तक पहुंचना था ताकि खाद्य संकलन एवं शिकार के माध्यम से अपनी जीविका चला सकें। ये लोग पहाड़ के ढलान तथा नदी घाटी में कृषि कर्म की शुरुआत भी किए। इनके द्वारा पशुचारण, मत्स्य मारण तथा दस्तकारी कर्मों को जन्म दिया गया।

मध्य युग में जनजातियां - मुसलमान शासकों के पहले तक जनजातियां अपने स्वशासन द्वारा नियंत्रित तथा निर्देशित होती थीं। लेकिन सोलहवीं सदी के अंत में उन्हें मुसलमान शासकों द्वारा उत्पीड़ित किया जाने लगा। अंततोगत्वा उन्हें अपना स्वशासन को त्यागना पड़ा। इस संदर्भ में कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत करना युक्तिसंगत होगा। मुसलमानों के आने के पहले छोटा नागपुर में नागवंशी राजा मुंडा तथा उरांव के प्रमुख हुआ करते थे। लेकिन सन् 1585 ई. में उन्हें मुसलमान शासकों द्वारा केवल मालगुजार (करदाता) बना दिया गया। जहांगीर के शासनकाल में मुसलमान शासकों द्वारा छोटा नागपुर के राजा के ऊपर नियमित अथवा नियतकालिका कर थोप दिए गए। राजा के लिए इसे भुगतान करना असंभव था। जब वे कर का भुगतान नहीं किए उन्हें सन् 1616 में हिरासत में ले लिया गया तथा अंत में जेल भेज दिया गया। जब वे बारह वर्ष बाद रिहा किए गए तब उन्हें वार्षिक लगान देना पड़ा। पश्चिम भारत के भील भी मुसलमान तथा मराठा आक्रमणकारियों से काफी आंदोलित रहे। मुसलमान काल में वृहत स्तर पर भीलों का धर्मांतरण मुसलमान के रूप में हुआ। सतरहवीं सदी के आरंभ में भील लोग अत्यंत आंदोलित रहे। लूट-पाट तथा आगजनी की अनेक घटनाएं भील क्षेत्र में घटित हुईं। भील सेना स्थानीय शासकों तथा मराठा आक्रमणकारियों को लूटना आरंभ कर दी थी। अशांत क्षेत्र के भीलों के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। उन्हें जानवर से भी बदतर स्थिति में रखा गया था तथा तरह-तरह की यातनाएं दी गई थीं। इसी अवधि में होल्कर तथा सिंध के बीच युद्ध भी हुआ था। इस लड़ाई में भीलों द्वारा अनेक स्थानीय शासकों को आतंकित किया गया था। उन स्थानीय शासकों से बड़े पैमाने पर हर्जाना वसूल किया गया था। मध्य युग में मध्य भारत की गौंड जनजातियों को भी समान स्थिति का सामना करना पड़ा था। पंद्रहवीं सदी के प्रारंभ में गौंडों का अपना गौंड राजवंश था। गौंड राजवंश की स्थापना गढ़ (जबलपुर के समीप) में की गई थी। सन् 1564 A.D. में मुगल सेना ने गढ़ को अपने अधीन कर लिया। गौंडों को मुगल सम्राटों की सत्ता स्वीकार करनी पड़ी। 1780 तक प्रायः सभी गौंड राजवंशों का अंत हो गया था। इस समय उनके बीच मराठों का

राज स्थापित हो चुका था। जब मुगल सेना ने दक्षिण भारत में अपना आक्रमण आरंभ किया था। तब उत्तरी एवं पश्चिमी भारत के बंजारों ने उनका साथ दिया था। इसके परिणामस्वरूप इन लोगों का आंध्र प्रदेश जाना पड़ा तथा वहाँ बसना पड़ा। हिमालय क्षेत्र में भी मुसलमान शासक खस क्षेत्र को अपने अधीन लाने का हर संभव प्रयास किए। अठारहवीं शताब्दी के अंत में मुगल सेना राजा सिरमुर को पराजित करने के लिए जानसार-बाबर क्षेत्र में प्रवेश की। सतरहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी में खस लोग गढ़वाल राजा के अधीन थे।

आधुनिक युग में जनजातियां - ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही भारतवर्ष में आधुनिक ऐतिहासिक युग की शुरूआत हो जाती है। जब ब्रिटिश शासक सर्वप्रथम छोटा नागपुर (तत्कालीन जंगल महल) में प्रवेश किए तब उन्हें यहां की जनजातियों को जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में ब्रिटिश शासकों के साथ छोटा नागपुर में अनके प्रकार के ठेकेदारों तथा साहूकारों का आगमन हुआ। इन बाहरी लोगों द्वारा जनजातियों का शोषण किया जाने लगा। जंगलों पर ब्रिटिश सरकार तथा तथा वन ठेकेदारों का आधिपत्य स्थापित हुआ। जंगल पर जनजातीय स्वायतत्ता समाप्त हुई। वन ठेकेदार वन उपजों के कुछ अंशों को ले जाने लगे। ब्रिटिश सरकार की भूमि व्यवस्था नीति जनजातीय स्वामित्व पर प्रहार किया। महाजनों का शोषण, सूदखोरों के उत्पीड़न तथा जमींदारों की यातनाओं से तंग आकर छोटा नागपुर की जनजातियों द्वारा विद्रोह के बिगुल फूंके गए। जनजातीय विद्रोह की शुरूआत 1772 की मालर विद्राह से हो जाती है। इसका अनुसरण 1795, 1800, 1801, 1807, 1808, 1816 तथा 1821 में किया गया। बंगाल में चौर विद्रोह 1787 से 1830 के बीच हुआ। सन् 1831-32 में महान कोल विद्रोह अस्तित्व में आया। इस विद्रोह को दबा दिया गया था। लेकिन इसके परिणामस्वरूप 1833 का विनियमन ग्प्प् को पारित किया गया। छोटा नागपुर को गैरविनियमन क्षेत्र घोपित किया गया। यह ब्रिटिश सरकार की प्रथम जनजातीय अलगाव नीति थी।

1846 का खोंड आंदोलन, 1854 का संथाल आंदोलन तथा 1869-70 का धनवाद विद्रोह गैरविनियमन व्यवस्था को और विस्तार एवं सुदृढ़ता प्रदान की। बाद में चलकर पृथक क्षेत्रों के लिए भिन्न एवं विशेप व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया। सन् 1874 में अनुसूचित जिला कानून को पारित किया गया। इस कानून के तहत प्रशासक को विशाल शक्ति प्रदान की गई। इसके बावजूद भी 1887 में सरदारी विद्रोह, 1895 में विरसा आंदोलन तथा 1914 में तना भगत आंदोलन हुए। इन आंदोलनों को शक्तिपूर्वक शांत भी कर दिया गया। इस समय तक जनजातीय लोग महात्मा गाँधी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। देश के अन्य भागों की जनजातियाँ भी ब्रिटिश शासको से खुश नहीं थीं। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार अधिनियम, 1919 को पारित किया गया।

ब्रिटिश शासनकाल में जनजातियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन की समस्या को भी झेलना पड़ा था। ईसाई धर्म प्रचारकों को शासकों का सहयोग प्राप्त था। ईसाई धर्म प्रचारक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के नाम पर जनजातीय क्षेत्र में गए तथा उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। लेकिन ईसाईकरण के कारण भारतीय जनजातियां दो वर्गों में विभाजित

हो गई - (i)जनजाति (ii)ईसाई जनजाति। उत्तर -पूर्व भारत की वृहत जनजातीय जनसंख्या का धर्मांतरण ईसाई में हुआ था। धर्मांतरण के साथ-साथ बहिष्कृत क्षेत्र की व्यवस्था इस क्षेत्र की जनजातियों के मस्तिष्क में एक पृथक पहचान बनाई।

जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश के नेतागण जनजातीय बंधुओं को सहायता करने तथा उनकी स्थिति को ऊपर लाने के लिए काफी इच्छुक थे। अनेक अखिल भारतीय जनजातीय संगठनों का जन्म पूरे देश भर में हुआ। जनजातियों की सहायता हेतु भारतीय आदिम जाति सेवा संघ की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई (धारा 46)। ब्रिटिश सरकार की अलगाववादी नीति को अस्वीकार किया गया। जनजातीय को राष्ट्र तथा देश के अन्य लोगों के साथ विकास की धारा से जोड़ने को प्रस्ताव स्वीकार किया गया। विभिन्न पंचवर्पीय योजनाओं में जनजातीय विकास के ऊपर विशाल राशि खर्च की गई। जनजातियों के लिए कल्याण योजनाओं का सूत्रीकरण तथा क्रियान्वयन किया गया। इसके परिणामस्वरूप जनजातियाँ देश के अन्य लोगों के साथ विकास की मुख्य धारा से जुड़ गई है। विकासात्मक कार्य तथा नगरीकरण के कारण जनजातियाँ नौकरी पेशा में प्रवेश की है। उनके मध्य उच्च महत्वाकांक्षा का विकास हुआ है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय जनजातियां अनेक विद्वानों को अपनी ओर अनुसंधान एवं अध्ययन के लिए आकर्पित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारतीय जनजातियों का अध्ययन ब्रिटिश प्रशासकों तथा मानवशास्त्रियों द्वारा किया गया था। स्वतंत्र भारत में जनजातीय अध्ययन के प्रति इस दृष्टि कोण में परिवर्तन हुआ तथा जनजातियों में परिवर्तनशीलता के साथ-साथ जोड़ने हेतु देश की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु जनजातियों का अध्ययन प्रारंभ हुआ जिससे जनजातीय अध्ययन की गहन जानकारी प्राप्त हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. हट्टन, जे. एच., सेन्सस ऑफ इण्डिया वाल्यूम 2, भाग 3,गर्वमेंट शिमला, 1931।
2. एल्विन वेरियर, द बैगाज आक्सफोर्ड प्रेस यूनिवर्सिटी लंदन, 1939।
3. रसेल व हीरालाल - द ट्राइब्ज एण्ड कास्टस आफ सेन्ट्रल प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, कास्मों पब्लिकेशन नई दिल्ली 1975।
4. धुरिये जी.एस., द शेडयूल ट्राइब्ज पापुलर प्रकाश, बाम्बे, 1963।
5. दास आर. के. मनीपुर ट्राइबल स्केन स्टडी इन सोसायटी एण्ड चेन्ज, :इन्टर इण्डिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1985।
6. मदान एवं मजूमदार, रेशेज एण्ड कल्चर्स ऑफ इण्डिया, : एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे, 1921।
7. गिलिन व गिलिन, कल्चरल सोशयालाजी, : दमेक मिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 1950।
8. पाण्डेय गया, भारतीय जनजातीय संस्कृति, : कंसेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2007।
9. सिंह जे., आदिवासी दलित संस्कृतिः, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2014।
10. श्रीवास्तव के. एस.,परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, युनिवर्सिटी पब्लिकेशन, दिल्ली, 2013।

11. ईश्वर के. ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया, क्राउन पब्लिकेशन, रांची 2002।
12. चौधरी एस.एन. एवं मिश्रा मनीष, आदिवासी विकास उपलब्धियां व चुनौतिया, कान्सेप्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012।
13. योजना पत्रिका, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, नई दिल्ली, फरवरी, 2016
14. जनगणना, भारत की जनगणना 2011

Centre for Research Studies Rewa-486001 (M.P.) India

Registered Under M.P. Society Registration Act,
1973, Reg. No. 1802, Year-1997
www.researchjournal.in

ISSN 0975-4083

9 770975 408002

Published by Dr. Gayatri Shukla on behalf of Gayatri Publications Rewa- 486001 (M.P.)
Printed at Glory Offset, Nagpur